

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगत एक समस्त - कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व कि किसी अन्य स्थापना के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि 'हैं' में एक अक्षर हुआ तो तो एक प्रमाण एक प्रमाण अक्षर 'हैं' को लिखते लिखते रहना है।



पता : ग्वालियर  
 दूरभाष : (0751) 2341896  
 (0751) 2442824  
 फैक्स : (0751) 2341750

प्रेषक :  
 कुलसचिव,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय  
 ग्वालियर  
 क्रमांक:एड/सम्बद्धता/2012/5924

दिनांक: 05/02/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, राणी परिसर, उल्हाई गेट, ग्वालियर (0751-2443943) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संघालित पोस्ट वैसिक बी.एस-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा. पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत विनियमन द्वारा निरीक्षण समिति का गठन किया है :

- (1) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442822)
- (2) डॉ. रेणुका दास, प्राचार्या, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।
- (3) डॉ. सी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अर्थसंगि क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिटेन्स तथा निष्के सत्र में बी आई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अर्थसंगिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्वायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा बी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। विनियमन अर्थात् नमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिले 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति को साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेजर जायेगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टीए / सी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

*(Signature)*  
 कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. संगत सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति को संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय तब निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*(Signature)*  
 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

